

कृषि यंत्र सेवा केन्द्र की स्थापना योजना हेतु आवेदन पत्र

भाग-1

प्रति,

कृषि यंत्री,
(बिलासपुर/सरगुजा-संभाग)
बिलासपुर (छ.ग.)

आवेदक का
पासपोर्ट साईज
फोटो

भाग-अ

- 1.1 कृषि यंत्र सेवा केन्द्र की श्रेणी
(कृपया एक का चयन करें)

☐ सामान्य क्षेत्र हेतु कृषि यंत्र सेवा केन्द्र
(न्यूनतम लागत ₹. 25.00 लाख, अनुदान राशि ₹. 10.00 लाख के अतिरिक्त सेवा केन्द्र हेतु स्ट्रा रीपर/स्ट्रा वेलर/मल्लर में से कोई एक यंत्र क्रय करने पर ₹. 00.25 लाख एवं हैप्पी सीडर पर ₹. 00.25 लाख इस प्रकार कुल राशि ₹. 00.50 लाख का अतिरिक्त अनुदान देय होगा)

☐ उपयोगिता क्षेत्र हेतु कृषि यंत्र सेवा केन्द्र
(न्यूनतम लागत ₹. 25.00 लाख अथवा ₹. 15.00 लाख, अनुदान राशि ₹. 10.00 लाख अथवा ₹. 7.50 लाख के अतिरिक्त सेवा केन्द्र हेतु स्ट्रा रीपर/स्ट्रा वेलर/मल्लर में से कोई एक यंत्र क्रय करने पर ₹. 00.25 लाख एवं हैप्पी सीडर पर ₹. 00.25 लाख इस प्रकार कुल राशि ₹. 00.50 लाख का अतिरिक्त अनुदान देय होगा)

- 1.2 आवेदक का नाम

पिता/पति का नाम

- 1.3 आवेदक एकल अथवा सामूहिक रूप से

(कम से कम 5 सदस्य) केन्द्र खोलना चाहता है

☐ एकल ☐ समूह में

- 1.4 आवेदक/समूह के कार्यकारी सदस्यों का विवरण

क्र.	आवेदक/समूह के कार्यकारी सदस्यों का नाम	शैक्षणिक योग्यता	जन्म तिथि	जाति	गृह जिला	क्या छ.ग. का स्थायी/मूल निवासी है ?

- 1.5 स्थान का विवरण जहाँ केन्द्र स्थापित किया जाना प्रस्तावित है

- (i) ग्राम
(ii) विकासखण्ड
(iii) जिला

- 1.6 केन्द्र स्थापित किये जाने हेतु द्वितीय एवं तृतीय प्राथमिकताये, यदि है तो जिला

- 1.7(ब) आवेदक का स्थायी पता

- 1.8 आवेदक की वार्षिक आय एवं वर्तमान व्यवसाय
1.9 पत्राचार हेतु पता

- 1.10 स्व-सहायता समूह का नाम व पंजीयन क्रमांक

भाग-ब

- 2.1 केन्द्र की स्थापना हेतु कुल अनुमानित व्यय
(DPR संलग्न करें)

- 2.2 आय का स्रोत

- 2.2.1 आय के अन्य स्रोत का विवरण

- 2.3 वार्षिक आय

- 2.4 PAN No.

- 2.5 भूमि एवं उसके स्वामित्व का विवरण :-

भू स्वामी का नाम..... क्षेत्रफल..... ग्राम.....
विकासखण्ड..... प.ह.न.

☐ कृषि ☐ व्यवसाय ☐ नौकरी ☐ अन्य

- 2.6 कृषि मशीनरी बैंक (कस्टम हायरिंग) के संबंध में :
- 2.7 कोई अनुभव हो तो उसका विवरण
व्यवसायिक बैंक का नाम जिसके ऋण लेने के इच्छुक हैं

प्रमाणित किया जाता है कि मेरे द्वारा स्व- सहायता समूह अथवा पंजीकृत सहकारी समीति के सदस्यों द्वारा, कृषि मशीनरी बैंक (कृषि यंत्र सेवा केन्द्र) की स्थापना हेतु किसी भी अन्य योजना से अनुदान का लाभ नहीं लिया गया है। मैं अनुदान प्राप्ति हेतु विभागीय औपचारिकताओं को पूर्ण करने एवं निर्देशों का पालन करने हेतु वचन बद्ध हूँ एवं भविष्य में नवीन यंत्रों के प्रचार प्रसार में शासन को पूर्ण सहयोग प्रदान करूंगा। आवेदन पत्र के भाग-2 में निहित नियम व शर्तें पूर्णरूपेण मुझे मान्य हैं।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि मेरे ज्ञान से उपरोक्त समस्त जानकारी सत्यनिष्ठा से दी गई है।

स्थान :-

दिनांक :-

आवेदक के हस्ताक्षर

नोट :- उपरोक्त से संबंधित सभी आवश्यक अभिलेखों की सत्यापित छायाप्रति संलग्न की जावें।

// शपथ - पत्र //

मैं पिता श्री
 जाति ग्राम पो.
 दिखं जिला- (छ.ग.) का निवासी हूँ जो कि शपथ
 पूर्वक यह कथन प्रस्तुत करता हूँ :-

- (1) यह कि मैं काश्तकार हूँ तथा मेरी कृषि भूमि रकबा हे. ग्राम
 पो. प.ह.न. विकासखण्ड
 तहसील जिला छ.ग. में स्थित है।
- (2) यह कि मैंने कृषि यांत्रिकरण के उद्देश्य से कृषि विभाग (कृषि अभियांत्रिकी) की राज्य
 पोषित/केन्द्र पोषित योजना के तहत कृषि यंत्र सेवा केन्द्र/फार्म मशीनरी बैंक
 स्थापित करना चाहता/चाहती हूँ।
- (3) यह कि मैं उक्त प्रयोजन हेतु कृषि विभाग (कृषि अभियांत्रिकी) छत्तीसगढ़ शासन द्वारा
 निर्धारित नियमानुसार अनुदान प्रकरण का आवेदन प्रस्तुत किया हूँ।
- (4) यह कि मेरे द्वारा कृषि यंत्र सेवा केन्द्र/फार्म मशीनरी बैंक के तहत क्रय किये गये
 कृषि मशीनों/उपकरणों/यंत्र कृषि कार्य के लिए उचित दर पर कृषकों को उपलब्ध
 कराया जायेगा/जायेगी एवं कृषि यंत्र सेवा केन्द्र/फार्म मशीनरी बैंक द्वारा किये गये
 कार्यों का सही लेखा जोखा संधारित किया जायेगा/जायेगी तथा समय-समय पर
 विभागीय अधिकारियों द्वारा मांगे जाने पर उपलब्ध कराऊंगा/कराऊंगी।
- (5) यह कि मेरे द्वारा कृषि यंत्र सेवा केन्द्र/फार्म मशीनरी बैंक स्थापना पर जो भी
 अनुदान कृषि विभाग (कृषि अभियांत्रिकी) से प्राप्त होता है तो मैं अनुदान पर क्रय की
 गई सामग्री को अन्य किसी भी व्यक्ति या संस्था के पास विक्रय/गिरवी नहीं
 करूंगा/रखूंगा। यदि मैं शर्तों का उल्लंघन करता हूँ तो शासन को नियमानुसार
 अनुदान राशि मय ब्याज के साथ वापस करूंगा/करूंगी।
- (6) यह कि वसूली योग्य धन राशि मेरे द्वारा वापस नहीं की गई तो संपूर्ण अनुदान मय
 ब्याज के भू-राजस्व की बकाया की तरह मुझसे वसूल की जा सकेगी।
- (7) मैं यह भी वचन देता हूँ कि प्रत्येक त्रैमास के अंत में त्रैमासिक रिपोर्ट 5 तारीख तक
 नियमित रूप से कार्यालय में प्रस्तुत करूंगा/करूंगी।
- (8) मेरे द्वारा निर्धारित समय पर रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में शासकीय
 कार्यवाही के लिए मैं स्वयं जिम्मेदार रहूंगा/रहूंगी।

सत्यापन :-

..... यह सत्यापित करता हूँ कि
 घोषणा पत्र की कंडिका 1 से 7 तक से वर्णित सभी बातें सत्य व सही हैं। अतः आज
 दिनांक को अपना हस्ताक्षर कर सत्यापित किया।

हस्ताक्षर

पूरा नाम
 पूरा पता

गवाह - 1.

2.

मो. नं.

कृषि मशीनरी बैंक (कृषि यंत्र सेवा केंद्र) की स्थापना योजना हेतु नियम व शर्तें:-

भाग-2

- 1 राज्य, अथवा केन्द्र शासन की किसी अन्य योजना से रोजगार प्राप्ति के संबंध में अनुदान या ऋण का लाभ प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी इसके पात्र नहीं होंगे।
- 2 आवेदक की पात्रता अनुसार आवेदन पत्र के भाग-3 (i) अथवा 3 (ii) अनुसार प्रत्येक कृषि कार्यमाला हेतु राशि 10.00 लाख, 25.00 लाख, 40.00 लाख एवं 60.00 लाख तक की मशीनें क्रय करना अनिवार्य होगा।
- 3 प्रत्येक केन्द्र के लिये आवेदक की पात्रता अनुसार भाग-3 (i) अथवा 3 (ii) में उल्लेखित कृषि यंत्र क्रय हेतु कृषि मशीनरी बैंक (कृषि यंत्र सेवा केंद्र) स्थापना योजनान्तर्गत क्रेडिट लिंक्ड बैंक इन्डेड अनुदान राशि सबसिंडी के रूप में 4 वर्ष लॉकिंग पीरियेड पर देय होगी। 4 वर्ष के लॉकिंग पीरियेड में किसी प्रकार का ब्याज शासन अथवा हितग्राही को देय नहीं होगा साथ ही बैंक द्वारा भी हितग्राही से अनुदान राशि के ऋण पर कोई ब्याज नहीं लिया जावेगा।
- 4 कृषि मशीनरी बैंक (कृषि यंत्र सेवा केंद्र) की स्थापना हेतु आवेदक को यंत्र/मशीनों के रख-रखाव शेड निर्माण एवं आवश्यकता अनुसार भूमि आदि की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।
- 5 स्थापित कृषि यंत्र सेवा केंद्र के समक्ष अवलोकन योग्य स्थान पर कृषि यंत्र सेवा केंद्र का बोर्ड एवं यंत्रों की किराया सूची प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा।
- 6 प्रत्येक त्रैमास में संबंधित कृषि यंत्रों को कार्य प्रगति का निर्धारित प्रपत्र पर त्रैमासिक प्रतिवेदन प्रेषित किया जाना अनिवार्य होगा।
- 7 कृषि मशीनरी बैंक (कृषि यंत्र सेवा केंद्र) द्वारा कृषकों कार्य उचित दर पर प्राथमिकता क्रम में किये जाने होंगे, कृषि कार्य उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में ही अकृषि कार्य किया जा सकेगा।
- 8 कृषि मशीनरी बैंक (कृषि यंत्र सेवा केंद्र) स्थापित किये जाने की योजना के तहत प्राप्त कृषि यंत्र/मशीनरी आदि को ऋण प्रदाय बैंक के अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति या संस्था को कम से कम 6 वर्ष तक विक्रय/रहेन (मार्टगेज) नहीं किया जावेगा। इसका उल्लंघन किये जाने पर शासन नियमानुसार अनुदान राशि मय ब्याज के वापस करना होगा।
- 9 कृषि मशीनरी बैंक (कृषि यंत्र सेवा केंद्र) को कार्यों का सही विवरण (लेखाजोखा) देने वाला पर्याप्त रिकार्ड संधारित करना होगा एवं समय-समय पर विभागीय अधिकारियों के द्वारा मांगे जाने पर उपलब्ध कराना होगा।
- 10 अभ्यर्थियों का चयन वांछित बैंक से प्राप्त ब्रीफ ओपीनियन रिपोर्ट के गुण दोष के आधार पर प्रथम आये, प्रथम पाये अनुसार किया जावेगा। किसी विवाद की स्थिति में संचालक कृषि, छ.ग.रायपुर का निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा।
- 11 एक आवेदक से एक ही आवेदन पत्र का स्वीकार किया जावेगा।

आवेदक के हस्ताक्षर

संचालक कृषि
छ.ग. रायपुर

आवेदन क्रमांक—
प्रति

कार्यालय

आधार कार्ड धारक कृषक सहमति पत्र

कार्यालय कृषि यंत्री, कृषि अभियांत्रिकी, (कृषि विभाग),
बिलासपुर/सरगुजा-संभाग,
जिला-बिलासपुर (छ.ग.)

मैं पिता/पति का नाम
ग्राम-..... ग्रामपंचायत..... विकासखण्ड.....
जिला-..... छत्तीसगढ़ रतद्वारा यह घोषणा करता हूँ कि कार्यालय कृषि यंत्री, (कृषि
विभाग) जिला-बिलासपुर द्वारा योजनान्तर्गत घटक का
लाभ प्राप्त करने के लिए हितग्राही प्रमाणीकरण हेतु अनिवार्य आधार आधारित प्रमाणीकरण प्रणाली के तहत
मेरा आधार नम्बर बायोमेट्रिक और/या एक बार पिन डाटा [One Time Pin
(OTP)] बैंक खाता क्रमांक-..... बैंक का नाम
..... आई.एफ.एस.सी. कोड एवं मोबाईल नंबर
..... का उपयोग किए जाने पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

यह कि मेरे द्वारा प्रदाय आधार नम्बर, बायोमेट्रिक और/या एक बार पिन डाटा [One Time
Pin (OTP)] एवं बैंक खाता क्रमांक की जानकारी केवल उपरोक्त लेनदेन के लिए ही आधार आधारित
प्रमाणीकरण प्रणाली के माध्यम से मेरी पहचान के सत्यापन कार्य को छोड़कर अन्य किसी उद्देश्य के लिए
उपयोग नहीं की जावेगी तथा मेरे द्वारा प्रदाय जानकारी प्रदाय जानकारी की सुरक्षा एवं गोपनीयता
सुनिश्चित करेगा, के आधार पर सहमति प्रदान करता हूँ।

हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

नाम

आधार नम्बर

दिनांक-.....